न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 78/2020 दर्ज तिथि :– 16.07.2020

1. गौरन्ती पत्नि मोहरसिंह
2. रामश्री पत्नि देवीराम
   समस्त जाति मीना निवासी खेडलागदाली तहसील महवा जिला दौसा

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा
2. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा महवा जिला दौसा
3. रामपति पत्नि हरलाल
4. प्रकाश
5. धर्मसिंह
6. मनसिंह — पिस. हरलाल
7. फूलवती
8. ओमा — समस्त जाति मीना निवासी खेडला गदाली तहसील महवा जिला दौसा
9. किरोडी — पिस. रामजीलाल
10. हरसहाय
11. धनफूल
12. बाबूलाल
13. शोभाराम — पिस. मुनीराम
14. रूकमणी
15. सरबती
16. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा महवा जिला दौसा

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता :– श्री धर्मसिंह राजपूत
प्रतिवादी अधिवक्ता :– श्री रामअवतार नरूका (प्रतिवादी संख्या 04 लगा0 06, 09, 10, 13)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि:– 21.05.2025

आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं. 384/2/0.06

जा–ए, 384/3/0.08 गै0मु0आबादी, 384/1/0.14 ग्राम खेडलागदाली तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है जो कि खसरा नं. 384/0.2800 चाही–ए से बने है जो कि वादीगण की राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक खातेदारी एवं कब्जे काश्त आराजी है। आराजी खसरा नं. 384/0.28 भू–प्रबंध विभाग से पूर्व साबिक खसरा नं. 90/235 रकबा 1 बीघा 2 बीस्वा था, इस प्रकार साबिक खसरा नं. 90/235 से हाल खसरा नं. 384/0.2800 हैक्टेयर बना है। हाल आराजी के तरफ उत्तर पूर्व को खसरा नं. 383/0.12 गै0मु0रास्ता की भूमि है। हाल आराजी खसरा नं. 383 साबिक खसरा नं. 89 रकबा 11 बिस्वा से बना है। आराजी खसरा नं. 384/0.28 के आगे रास्ता ख.नं. 383 के साबिक खसरा नं. 89 की वादीगण के साबिक खसरा नं. 90/235 के तरफ उत्तर को हमेशा से 8–9 फिट की चौडाई की रही है, जो कि आज दिन तक मौजूद है तथा तरफ पूर्व को भी रास्ता साबिक खसरा नं. 89 की 8–9 फिट चौडाई की रही है जो आज तक रही है। कुछ समय पूर्व तहसील महवा में भू–प्रबंध विभाग द्वारा भूमि बन्दोबस्त किया था उस समय वादीगण की भूमि खसरा नं. 384 के उत्तर पूर्वी रास्ते के बगल के खेतों वालों ने भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों से सांठ गांठ करके वादीगण के आगे उत्तर तथा पूर्व को जाने वाले रास्ता ख. न. 89 का वर्तमान ट्रेस को 8–9 फिट चौडाई के स्थान पर करीब 21–22 फीट का चौडा रास्ता बना दिया तथा वादियागण के ख.नं. 384 का नक्शा ट्रेस रकबा 0.28 है0 के अनुसार नही बनाकर 0.22 है0 का बनाकर छोटा बना दिया जिसकी वादिया तथा वादिया के ससुर आदि पूर्व खातेदारों को जानकारी नही हो सकी और वह उक्त गलत नक्शा ट्रेस अब तक चलता आ रहा है। वादियागण ने अपनी आराजी खसरा नं. 384 के बंटवारा से दो नम्बर बना लिये खसरा नं. 384/1/0.1400 अब वादिया रामश्री के खातेदारी में आ गया तथा खसरा नं. 384/2/0.1400 मोहरसिंह व गौरन्ती के हिस्से मे आग गया। जिसमें खातेदारी गौरन्ती के नाम हो गई और फिर गौरन्ती ने उक्त आराजी में से 0.08 है0 आबादी में संपरिवर्तित करवा लिया। जिसका खसरा नं. 384/3 हो गया तथा दूसरा खसरा नं. 384/2 रकबा 0.06 हो गया, जो वादिया गौरन्ती के नाम है। वादिया गौरन्ती ने अपनी उक्त आराजी के भाग में अपना पुख्ता मकान बनाया तथा उक्त रास्ते के बगल वाली भूमि में चबूतरा बनाया, तो रास्ते के दूसरे किनारे के खेत वाले खातेदारों ने दिनांक 01.05.2020 के आसपास पुरानी डोल मेड तथा वादीगण के खेतों की उत्तर पूर्व वाली डोल मेड तोडकर रास्ते को वादीगण की आराजी में आर–पार करीब 10, 11, 12 फिट घुसाकर बना दिया था, दूसरी तरफ से रास्ते की भूमि अपने खेतों में मिलाकर पूर्व रास्ता को अपने खेत की सीमा में लेकर उसमें चबूतरा आदि के निर्माण कर दिये। वादीगण के मना करने पर वे नही माने और वादीगण को जान से मारने की धमकी दी। तब वादीगण ने तहसीलदार महवा से पैमायश करने के आदेश लिये जिस पर दिनांक 27.05.2020 को सुबह तहसील से पैमायश करने वाले पैमायश करके गये उसके बाद ही रास्ते में चूबतरा बनाने एवं रास्ते की डोल मेड तोडने वाले हरसहाय एवं उसके घरवालों ने गौरन्ती की संगीन मारपीट की जिसकी गौरन्ती ने थाना महवा पर मुकदमा नं. 383/2020 दर्ज करवाया, जो चल रहा है। वादीगण ने उक्त

लोगो के आक्रामक रवैया को देखते हुये विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी तौर पर हल करने के लिये तहसीलदार महवा से आराजी ख.नं. 383 एवं 384 की पैमायश पुनः टीम द्वारा करवाने का निवेदन किया तो तहसीलदार महवा द्वारा पांच सदस्यो की टीम गठित की गई। जिन्होने दिनांक 11.06.2020 को गांव खेडला गदाली पहुंचकर मुश्तकिल बिन्दुओं से पैमायश की गई तो वादीगण की आराजी ख.नं. 384 का नक्शा ट्रेस मुताबिक रकबा 0.28 है0 नही पाकर 0.22 है0 का पाया तथा खसरा नं. 383 का हाल नक्शा ट्रेस चौडाई में 20, 21, 22 फिट का पाया, जबकि उक्त रास्ता हमेशा से 8–9 फिट चौडा रहा है जिसका इन्द्राज पुराने नक्शा ट्रेस में भी इसी नाम के अनुसार है। दिनांक 11.06.2020 को टीम द्वारा पैमाईश करने पर तथा पुराने राजस्व रिकॉर्ड को देखने पर वादियागण को भू–प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नं. 383 तथा खसरा नं. 384 के गलत बनाये नक्शा ट्रैस की जानकारी हुई तब वादियागण ने खसरा नं. 383 के साबिक खसरा नं. 89 के मुताबिक चौडाई की सीमा की जगह में हरसहाय वगै0 द्वारा बनाये गये चबूतराओं तथा पुख्ता निर्माण को हटवाने तथा हाल नक्शा ट्रेसों को बन्दोबस्त से पूर्व के नक्शा ट्रेस के मुताबिक दुरूस्त करने का निवेदन तहसील महवा से किया तो प्रतिवादी ने साबिक खसरा नं. 89 के ट्रेस में से पुलिस बल तथा राजस्व कर्मचारियों पटवारी आदि का सहयोग लेकर कुछ अवरोध तो हटा दिया लेकिन वे लोग हाल गलत नक्शा ट्रेस का सहारा लेकर विरोध करने लग गये। जिससे मौके पर शांतिभंग की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि उक्त लोगो के अवैध पुख्ता निर्माण साबिक खसरा नं. 89 के ट्रेस में बने हुये तथा उक्त लोग अब वादियागण की आराजी खसरा नं. 384 की सीमा को गलत नक्शा ट्रेस के आधार पर रास्ते की सीमा बताकर अपने अतिक्रमण को नही हटाने की कहकर झगडा फिसाद करने को आमदा है। वादियागण ने प्रतिवादी लैण्ड होल्डर से भू–प्रबंध द्वारा रास्ता का नक्शा ट्रेस बडा बना देने से तथा वादियागण के खसरा नं. 384 के नक्शा ट्रेस को छोटा यानि 0.22 हैक्टेयर का बना देने को दुरूस्त करने के लिये निवेदन किया तो इन्होने इंकार कर दिया तथा अदालत में दावा करने की कही। इसलिये वादियागण को यह दावा खिलाफ प्रतिवादी लाना लाजिम आया है। अंत में निवेदन किया कि वादियागण बर खिलाफ प्रतिवादीगण घोषणा एवं दुरूस्ती डिक्री किया जाकर वादियागण की आराजी खसरा नं. 384 का वर्तमान नक्शा ट्रेस 0.22 हैक्टेयर से उत्तर पूर्व को हाल खसरा नं. 383 के नक्शा ट्रेस में बढाकर रकबा 0.28 हैक्टेयर के मुताबिक दुरूस्त किया जाकर तथा खसरा नं. 383 के नक्शा ट्रेस को उसके साबिक खसरा नं. 89 के नक्शा ट्रेस के अनुसार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की तलबी पूर्ण हुई। प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 06, 09, 10, व 13 की ओर से श्री रामअवतार सिंह नरूका अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 02, 03, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16 बावजूद तामील उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार महवा की ओर से जबाव/रिपोर्ट प्राप्त हुई।

Manish

तहसीलदार महवा द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नं. 384/1 रकबा 0.14 हैक्टेयर रामश्री पत्नि देवीराम जाति मीना सा. देह के नाम दर्ज है तथा खसरा नं. 384/2/0.06, 384/3/0.08 गौरन्ती देवी पत्नि मोहरसिंह जाति मीना सा. देह के नाम दर्ज है। उक्त तीनो खसरा नं. 384 रकबा 0.28 हैक्टेयर से बने है। खसरा नं. 384/0.28 गत खसरा नं. 90/235 से बना है। खसरा नं. 384 की नक्शा शीट के अनुसार रकबा बरारी करने पर रकबा 0.22 हैक्टेयर होता है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 0.28 हैक्टेयर होना चाहिये। साबिक शीट एवं वर्तमान शीट की तुलना करते है तो खसरा नं. 384 व साबिक खसरा नं. 90/235 में भिन्नता है तथा इसी प्रकार खसरा नं. 383 में गै0मु0रास्ता एवं साबिक खसरा नं. 89 गै0मु0रास्ता में भी भिन्नता है। वर्तमान नक्शें में साबिक नक्शें के अनुसार खसरा नं. 383 व 384 की दुरूस्ती किया जाना उचित होगा।

वकील प्रतिवादी द्वारा जबाव पेश किया गया। अपने जवाब में कथन कहा कि रास्ता पूर्व से ही था जो बीच में से दोनो तरफ समान भूमि लेकर रास्ते को चौडा किया गया था। एक तरफ से नही किया गया परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने जमाबंदी में रकबा कम नही किया था जबकि जमाबन्दी से भी रकबा कम करना चाहिये था। वादियागण पुनः रास्ते को छोटा करना चाहती है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा भूमि बन्दोबस्त किया गया वो सही किया था जिससे किसी प्रकार कोई सांठ–गांठ नही की गयी थी जबकि नक्शा ट्रेस की जगह जमाबन्दी से भी रकबा कम करना चाहिये था। वादिया ने उक्त आराजी को आबादी में संपरिवर्तित करवा लिया है इसलिये आबादी की भूमि का वाद का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है इसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है इसिलये दावा खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में वादिया गौरंती का शपथ पत्र पेश किया। वकील प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी प्रकाश, किरोडी, हरसहाय, मानसिंह, शोभाराम, धनफूल के शपथ पत्र पेश किये।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, वकील वादी व प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश किये गये शपथ पत्रों का अवलोकन किया। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। वाद गौर बहस व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर हम पाते है कि राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है ना कि सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार भिन्न–भिन्न है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नं. 384/1 रकबा 0.14 हैक्टेयर रामश्री पत्नि देवीराम जाति मीना सा. देह के नाम दर्ज है तथा खसरा नं. 384/2/0.06, 384/3/0.08 गौरन्ती देवी पत्नि मोहरसिंह जाति मीना सा. देह के नाम दर्ज है। उक्त तीनो खसरा नं. 384 रकबा 0.28 हैक्टेयर से बने है। खसरा नं. 384/0.28 गत खसरा नं. 90/235 से बना है। खसरा नं. 384 की नक्शा शीट के अनुसार रकबा बरारी करने पर रकबा 0.22 हैक्टेयर होता है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 0.28 हैक्टेयर होना चाहिये। साबिक शीट एवं वर्तमान शीट

की तुलना करते है तो खसरा नं. 384 व साबिक खसरा नं. 90/235 में भिन्नता है तथा इसी प्रकार खसरा नं. 383 में गै0मु0रास्ता एवं साबिक खसरा नं. 89 गै0मु0रास्ता में भी भिन्नता है। इस प्रकार वर्तमान नक्शा में साबिक नक्शा अनुसार खसरा नं. 383 गै0मु0 रास्ता व खसरा नं. 384 रकबा की दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश यह है कि :–

वादी का वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत स्वीकार योग्य पाये जाने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार महवा को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 384 का वर्तमान नक्शा ट्रेस 0.22 हैक्टेयर के स्थान पर साबिक खसरा नं. 90/235 के अनुसार एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित क्षेत्रफल 0.28 हैक्टेयर के मुताबिक दुरूस्त किया जावे तथा खसरा नं. 383 रकबा 0.12 हैक्टेयर के नक्शा ट्रेस को उसके साबिक खसरा नं. 89 के नक्शा ट्रेस के अनुसार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.05.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा रेशम, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

सत्यमेव जयते
महवा दौसा